छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार दिनांक 11,जुलाई 2005

(आषाढ़ 20,1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने डॉ. गोविन्द नारायण सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. श्रीधर मिश्र, अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री सुनील दत्त, राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री सुंदर सिंह भंडारी, भूतपूर्व राज्यपाल, एवं गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा बाढ़ में मृतक जन के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह), सर्वश्री भूपेश बघेल, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, डॉ. रामचन्द्र सिंह देव एवं बद्रीधर दीवान सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.55 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.00 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

3.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 5 (कुल 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4.अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) के उपखंड(क) की अपेक्षानुसार :-

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश, 2005 (क्र.1 सन 2005) तथा,

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश, 2005 (क्र.2 सन 2005) पटल पर रखे।

5.अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी-मार्च, 2005 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

6. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

7.राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पारित सभी 6 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

सचिव विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक -30-क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधानसभा के फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पारित सभी 6 विधेयकों जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

8.सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम - निर्दिष्ट किया।

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. श्री विक्रम उसेण्डी
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
6. श्री धर्मजीत सिंह

9.कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 10 जुलाई, 2005 को संपन्न हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति ने वित्तीय कार्य एवं शासकीय विधेयकों के लिए निम्नानुसार अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय

वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा,मतदानएवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	◌3 घंटे

◌

विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अ धिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005	◌20 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005	1घंटा 30 मिनट
(3) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005	1घंटा 30 मिनट
(4) छत्तीसगढ़ नगर पालिका निग म(संशोधन) विधेयक, 2005	◌1घंटा
(5) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	◌30 मिनट

◌

◌

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2005 से सभा की बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 17.30 बजे तक रखी जायें। अपराह्न 13.30 बजे से 15.00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भाराकां के सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, उदय मुदलियार, धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे ने आसंदी से अनुरोध किया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्यपुस्तकों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) की फोटो लगाई गई है तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पीछे के पृष्ठों में स्थान दिया गया है, साथ ही महापुरूषों की जीवनी को हटा दिया गया है एवं पुस्तकों की कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है अत: इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

10.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा अंग्रेजी माध्यमों की किताबों के महापुरूषों से संबंधित पाठ्यक्रम हटाये जाने तथा किताबों की मूल्य वृद्धि के संबंध में सर्वश्री भूपेश बघेल,नंद कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर,

महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, गुलाब सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा धनेन्द्र साहू से प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल की सूचना पढ़ी गई।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मेघाराम साहू ने इस पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के पक्ष में सर्वश्री भूपेश बघेल, नंद कुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, डॉ. शिवकुमार डहरिया, धनेन्द्र साहू सदस्य ने भाग लिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

भाराकां के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.24 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.48 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

भाराकां के सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि स्थगन में शामिल समस्त बिन्दुओं पर शासन का उत्तर नहीं आया है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :- स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होने के उपरांत शासन का वक्तव्य आ गया है तथा माननीय सदस्यों ने उसकी ग्राह्यता की चर्चा में हिस्सा भी लिया है, अत: इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

भाराकां के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

अत्यधिक व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.58 बजे, 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(12.58 बजे से 2.33 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

भाराकां के सदस्य सर्वश्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नॉयक, रविन्द्र चौबे ने आसंदी से निवेदन किया कि स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का कोई सारांश नहीं निकला है एवं महात्मा गांधी की तस्वीर किताबों से क्यों हटाई गई है, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी की ओर से आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि स्थगन पर 8 सदस्यों ने अपनी बात रखी है और अग्राह्य होने के पश्चात् उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

लगातार व्यवधान रहने से 2.41 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 2.57 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

भाराकां के सदस्य सर्वश्री नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आसंदी से आग्रह किया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री की ओर से समाधान कारक उत्तर आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर विपक्ष अपनी राय व्यक्त कर चुका है तथा अन्य विषय भी महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चर्चा करें।

प्रतिपक्ष के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

निरंतर व्यवधान रहने से 3.04 बजे सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 21 शक संवत् 1927) के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

○

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

○

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार दिनांक 12,जुलाई 2005

(आषाढ़ 21,1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, 2, 4 से 8 (कुल 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 7 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, भूपेश बघेल, त्रिलोचन पटेल सदस्य ने औद्योगिक प्रदूषण से कृषि भूमि बंजर होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले में कोयले का अवैध उत्खनन किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

3.नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने जिला बिलासपुर ग्राम मंगला में पालतू मवेशियों की अकाल मृत्यु,

(2) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला राजनांदगांव ग्राम सोमनी के वृद्ध की ब्लड बैंक से खून उपलबध न कराए जाने से मृत्यु होने, तथा

(3) श्री संजीव शाह, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी, ए.पी.डब्ल्यू.एस.पी. योजनान्तर्गत स्कूलों में खनित हैंडपंपों के कार्यों में अनियमितता होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

4. याचिका की प्रस्तुति

श्री संजीव शाह, सदस्य ने चौकी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

5.वक्तव्य

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2005 के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

6.बर्हिगमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति संबंधी पंचायत मंत्री के वक्तव्य के विरोध में सदन से बर्हिगमन किया।

7.उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान एवं श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने हेतु प्राप्त क्रमश: 3 एवं 4 प्रस्ताव की जानकारी देते हुए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 (4) के अंतर्गत सबसे प्रथम प्राप्त प्रस्ताव की प्रस्तावक सुश्री रेणुका सिंह, सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा।

सुश्री रेणुका सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - ***श्री बद्रीधर दीवान जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना जाए।***

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन के पश्चात ध्वनि मत से माननीय अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की तथा सदन की

ओर से बधाई दी।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पर आपत्ति की एवं कहा कि उपाध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया गया और परंपरा के विपरीत उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है।

सर्वश्री नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर मत लिए जाने के समय मतदान की मांग नहीं किए जाने की ओर ध्यान दिलाया।

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने सदन की परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को प्रस्ताव के मध्य यथासमय डिवीजन की मांग रखनी चाहिए थी। उनके द्वारा डिवीजन की मांग नहीं की गई इसलिए अब आपत्ति करना उचित नहीं है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का हवाला देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया अपूर्ण होने की बात कही।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने भी सही निर्वाचन प्रक्रिया नही अपनाने पर आपत्ति की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी की गई।

8.व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि- उपाध्यक्ष के निर्वाचन में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत ही कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्यों के असंसदीय आचरण पर मैं केवल दुख ही व्यक्त कर सकता हूं।

व्यवधान होने से 1.19 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित होकर 3.05 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा ने उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में अपने दल के असंतोष से अवगत कराते हुए संसदीय परंपराओं को तोड़ने की बात कही तथा आसंदी से निवेदन किया कि निर्वाचन की प्रक्रिया पुन: अपनाई जाए।

श्री धर्मजीत सिंह, श्री नोवेल कुमार वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विधानसभा सचिवालय से जारी सूचना (पत्रक क्रमांक-58) का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के

समय डिवीजन की मांग न किए जाने की चूक की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया तथा निर्वाचन प्रक्रिया सम्मत होने की बात कही।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी की गई।

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संसदीय कार्य मंत्री के कथन पर आपति व्यक्त की तथा कौल एवं शकधर का हवाला देते हुए दो उम्मीदवार होने के कारण मतदान कराये जाने की संसदीय आवश्यकता प्रतिपादित की।

9.व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि- विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों के विचार सुने। मेरी व्यवस्था इस प्रकार है:- आज सदन में जब मैंने विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 8 के उपनियम (1) और नियम (2) के अंतर्गत उपाध्यक्ष चुने जाने हेतु माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान एवं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह के लिए पृथक-पृथक प्राप्त क्रमश: 3 एवं 4 प्रस्तावों की जानकारी सभा को दी। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 के उप नियम 4 के अंतर्गत नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत होने और फलस्वरूप माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की, तब प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपनायी गई प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यह दलील प्रस्तुत की कि सभी प्रस्तावों को सभा के समक्ष रखे बिना निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा सकती।

नियम 7(3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसी कड़ी में मैंने कार्यसूची में सर्वप्रथम उल्लेखित श्री मती रेणुका सिंह के प्रस्ताव को पढ़ा, जो उन्होंने प्रस्तुत किया और विधिवत अनुमोदित होने के बाद विनिश्चय के लिए रखा गया। नियम 7(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे और यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। श्रीमती रेणुका सिंह का प्रस्ताव प्रस्तुत होने एवं विधिवत अनुमोदित होने के बाद मत विभाजन के लिए रखा गया और उस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद कार्यसूची में उल्लेखित अन्य प्रस्तावों को रखे जाने का नियमों में न तो कोई प्रावधान है और न ही इसमें कोई प्रासंगिकता है। माननीय सदस्यों को इस संबंध में मैंने जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है, बता दिया था कि माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान के लिए तीन एवं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह हेतु चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और नियमावली के नियम 7(4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को एक-एक करके उसी क्रम में लूंगा जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए हैं।

मैंने इसी अनुसार जिस क्रम में प्रस्ताव सचिवालय में प्राप्त हुए थे उस क्रम में कार्यसूचि में उनका उल्लेख किया और तद्नुसार जिस क्रम में वे प्राप्त हुए, उनको लेना प्रारंभ किया। मैंने पूर्व में यह भी घोषणा कर दी थी कि किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के उपरांत शेष प्रस्तावों को नियम 7(4) के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा यह आपत्ति करना कि निर्वाचन की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं हुई है, सही नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निर्वाचन के संबंध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसकी सूचना समस्त माननीय सदस्यों को विधानसभा पत्रक भाग-दो क्रमांक-58 दिनांक 8 जुलाई, 2005 के द्वारा भेज दी गई थी। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हों उन सभी को सदन में प्रस्तुत किया जाए । इसलिए विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया निय मों के अंतर्गत ही संपादित हुई है। इस संबंध में समस्त आपत्तियों को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन में आसंदी से संरक्षण एवं विपक्ष के अधिकार का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ यह आरोपात्मक कथन किया कि प्रजातंत्र में विपक्ष को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। प्रतिपक्ष को मतदान का अधिकार है लेकिन प्रतिपक्ष को न्याय नहीं मिला।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि गर्भगृह में आए समस्त सदस्य नियम 250 के अंतर्गत स्व मेव निलंबित हो गए हैं, निलंबन अवधि का विनिश्चय वे बाद में करेंगे।

3.37 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित होकर 4.16 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुये)

10. निलंबन की कार्यवाही

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि गर्भगृह में नियम 250 का उल्लंघन कर आने वाले माननीय सदस्य सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, नन्दकु मार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, मोहम्मद अकबर, गणेशशंकर बाजपेयी, उदय मुदलियार, बोधराम कंवर, ओंकार शाह, रामदयाल उइके, चैतराम साहू, मोतीलाल देवांगन, अमरजीत भगत, चुरावन मंगेशकर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. चेतन वर्मा, चंद्रभान बारमते, डॉ. हरिदास भारद्वाज, धनेन्द्र साहू, कवासी लखमा, गुलाब सिंह, देवव्रत सिंह, सियाराम कौशिक स्वमेव निलंबित हो गए हैं। मेरा आग्रह है समस्त निलंबित सदस्य सभा भवन के बाहर जाएं।

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित।

4.17 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित होकर 4.33 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुये)

गर्भगृह में बैठे माननीय सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

11. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 में यह प्रावधानित है कि यदि सभा की बैठक चलते कोई सदस्य गर्भगृह में प्रवेश करता है, वह उतनी अवधि के लिये निलंबित माना जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें, तदोपरांत मैंने माननीय सदस्य सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, नन्दकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, मोहम्मद अकबर, गशेणशंकर बाजपेयी, उदय मुदलियार, बोधराम कंवर, ओंकार शाह, रामदयाल उइके, चैतराम साहू, मोतीलाल देवांगन, अमरजीत भगत, चुरावन मंगेशकर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. चेतन वर्मा, चंद्रभान बारमते, डॉ. हरिदास भारद्वाज, धनेन्द्र साहू, कवासी लखमा, गुलाब सिंह, देवव्रत सिंह, सियाराम कौशिक से सभा भवन के बाहर जाने हेतु अनुरोध किया था। आसंदी के अनुरोध को सदस्यों द्वारा नहीं मानना संसदीय प्रक्रिया के निलंबित सदस्यों की भावना को ही प्रकट करता है और मैं सदस्यों पर ही छोड़ता हूं कि प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था का सम्मान अक्षुण्ण रखना चाहते हैं कि नहीं क्योंकि स्वयं वे इस सदन के अविभाज्य अंग हैं। सभा के समस्त सदस्य जनहित के मामले उठा सकें, उन पर चर्चा हो सके। कल राज्य का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होना है। इन समस्त तथ्यों विचार में लेकर और सदस्यों के प्रति संसदीय भावना रखते हुये, इनके व्यवहार को नजरअंदाज करते हुये केवल आज की कार्यवाही से निलंबित करता हूं।

4.36 बजे सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 22, शक संवत् 1927) के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार दिनांक 13,जुलाई 2005

(आषाढ़ 22,1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एवं 13 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 4 तारांकित एवं17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, गुलाब सिंह, महेन्द्र कर्मा, डॉ. चेतन वर्मा, ओंकार शाह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सत्यनारायण शर्मा, चुरावन मंगेशकर, गणेश शंकर बाजपेयी, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, डॉ.शक्राजीत नायक, अमरजीत भगत, रामदयाल उईके, कवासी लखमा से प्राप्त सूचनाओं में से श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी।

3.व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मेरा सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव प्रात: 9.00 बजे तक विभाग को विधानसभा सचिवालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। नियमानुसार स्थगन उसी दिन लिए जा सकते हैं। अत: विभागीय मंत्री यह सुनिश्चित करें कि स्थगन प्रस्ताव पर विभाग की टीप 11.30 बजे तक विधानसभा सचिवालय में प्राप्त हो जाए।

4.स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के पक्ष में सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, गुलाब सिंह,ओंकार शाह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, गणेश शंकर बाजपेयी, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, डॉ.शक्राजीत नायक, अमरजीत भगत, रा मदयाल उईके, नोवेल कुमार वर्मा, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(2.44 से 3.49 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

5.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना-

(1) क्रमांक -6776/5414/21-ब/छ.ग./2002, दिनांक 26 अक्टूबर, 2002

(2) क्रमांक -8327/2783/21-ब/छ.ग./2002, दिनांक 30 नवंबर, 2002

(3) क्रमांक -1030/डी-4911/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 11 फरवरी, 2004

(4) क्रमांक -7142/डी-2944/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 04 दिसंबर, 2004 तथा,

(5) क्रमांक -4892/डी-1254/21-ब/छ.ग./2005, दिनांक 03 जून, 2005 पटल पर रखी।

6.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, धर्मजीत सिंह, डॉ. बालमुकुंद देवांगन सदस्य ने जिला कोरबा में बाल्को/स्टरलाईट द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने कृषि उपज मंडियों में बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7.नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने मांड डायवर्सन योजना के अंतर्गत ग्राम मेढ़ापाली की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(2) कु. रोजलिन बेकमेन, सदस्य ने जिला जशपुर के शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों का अभाव होने, तथा

(3) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने महिला बाल विकास विभाग बिलासपुर द्वारा जारी 10 लाख रूपये के ड्राफ्ट के गायब होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

8.वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 14 जुलाई 2005 की तिथि निर्धारित की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

माननीय श्री बद्रीधर दीवान के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत आसंदी पर प्रथम बार आसीन होने के अवसर पर डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा एवं नंद कुमार पटेल, सदस्य ने बधाई दी।

उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों तथा सदन के प्रति आभार व्यक्त किया।

9.नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में हीरा खदानों का दोहन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज, इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह, (चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.31 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 14 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 23, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार दिनांक 14,जुलाई 2005

(आषाढ़ 23,1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, तथा 3 से 12 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.बहिर्गमन

महानदी मुख्य नहर में बैलेन्स अर्थवर्क लाईनिंग कार्य संबंधी प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक सदस्य ने प्रदश में विद्युत कटौती तथा विद्युत दरों में वृद्धि किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने जिला महासमुंद में आदिवासी क्षेत्र उप योजना मद की राशि व्यय करने में अनियमितता किए जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री छतराम देवांगन, संसदीय सचिव (आदिम जाति कल्याण मंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

ध्यानाकर्षण चर्चा के दौरान अनियमितता की जांच की मांग की जाने पर श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रश्नकर्ता विधायक की उपस्थिति में विभागीय आयुक्त से एक माह में जांच कराकर प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही करने की घोषणा की।

4.नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में ठक्कर बापा वनवासी सेवा समिति द्वारा संचालित विद्यालयों को शासनाधीन कर नवीन भवनों का निर्माण कराने,

(2) श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने प्रदेश में खेल प्रोत्साहन हेतु मिली राशि को शासकीय आयोजनों में व्यय किए जाने, तथा

(3) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में स्कूल स्तर पर खेल शिक्षक, खेल बजट न ि मलने से खेल गतिविधियों के शून्य होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5.प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी स ि मति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2005 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की :-

अशासकीय संकल्प क्र.		सदस्य का नाम	समय
1.	(क्रमांक-17)	श्री उदय मुदलियार	1 घंटा
2.	(क्रमांक-07)	श्री मोतीलाल देवांगन	45 मिनट
3.	(क्रमांक-18)	श्री उदय मुदलियार	45 मिनट

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-8 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

(2) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 (क्रमांक-10 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

(3) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-11 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

(3) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक-12 सन् 2005) पुर:स्थापित किया।

7. वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जातीं हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

> दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80,81 एवं 82 के लिए राज्य की संक्षित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच सौ उन्नीस करोड़, सत्रह लाख, इन्क्यानबे हजार, सात सौ छियान्बे रूपए की अनुपूरक राशि दी जाए।
>
> प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव (भाषण जारी)

(1.32 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, अघनसिंह ठाकुर, रविन्द्र चौबे, देवलाल दुग्गा, धर्मजीत सिंह, चन्दूलाल साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, कमलभान सिंह, नोवेल कुमार वर्मा

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से अनुपूरक मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्रीमती रमशीला साहू, सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, लच्छुराम कश्यप, कवासी लखमा, त्रिलोचन पटेल, देवव्रत सिंह, महेन्द्र कर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-03) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-03) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-03) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 7.12 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 24, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार दिनांक 15,जुलाई 2005

(आषाढ़ 24,1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, तथा 3 से 10 (कुल 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 05 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.बहिर्गमन

कक्षा पहली से आठवीं तक की पुस्तकों का प्रकाशन संबंधी प्रश्न संख्या-10 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने, अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर पालिका, नगर निगम एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के उपस्थित होने की जानकारी सदन को दी।

4.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में शिक्षाकर्मी की भर्ती में अनियमितता संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, देवव्रत सिंह, नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, धनेन्द्र साहू, डॉ. चेतन वर्मा, ताम्रध्वज साहू, रामदयाल

उईके, ओंकार शाह से प्राप्त सूचनाओं में से श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सू"ाना पढ़ी।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, देवव्रत सिंह, नंद कुमार पटेल, धनेन्द्र साहू, डॉ. चेतन वर्मा, ताम्रध्वज साहू, ओंकार शाह,सदस्य ने भाग लिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

5.पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री लता उसंडी, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961(क्रमांक 28 सन् 1961) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत बनाये गये छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 संबंधी जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-2/मबावि/द.प.नि./2004, दिनांक 24 मार्च, 2004 को अधिनिय म की धारा 10 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पटल पर रखी।

6.ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने प्रदेश में बिजली चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने मिनीमाता हसदेव बांगो बांध की खरसिया शाखा नहर से पानी का रिसाव होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से कार्यसूची के पद क्रमांक-4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

(3) सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, त्रिलोचन पटेल, सदस्य की उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा क्रय धान में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य।

7.याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) कुमारी रोजलिन बैकमेन, सदस्य ने जशपुर जिला के अंतर्गत:-

(1) विकासखंड कुनकुरी में उपकोषालय खोलने,

(2) ग्राम रायकेरा से ढुलढुला मार्ग के बीच चांपा नदी में पुलिया निर्माण करने,

(3) विकासखंड कुनकुरी के ग्राम नारायणपुर से बेने जलप्रपात तक डब्ल.बी.एम. मार्ग का डामरीकरण करने, तथा

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने ग्राम नगरगांव विकासखंड धरसींवा के प्राथमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज अशासकीय कार्य दिवस है। अंतिम 2.30 घंटे इस हेतु निर्धारित है। अत: शासकीय विधि विषयक कार्य आज पूर्ण कर अशासकीय कार्य लिया जायेगा।

(1.36 से 3.07 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

8.शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

9.कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 15 जुलाई, 2005 को संपन्न हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति ने शासकीय विधेयकों के लिए निम्नानुसार अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005	3 घंटे
2.	इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005	1 घंटे
4.	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005	30 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10.अशासकीय संकल्प

(1) एन.एम.डी.सी. का मुख्यालय जगदलपुर स्थानांतरित किया जाना।

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- *यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि एन.एम.डी.सी. का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में स्थानांतरित किया जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, भूपेश बघेल, चन्दुलाल साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत करने का आह्वान किया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में धान/बीज/खाद के रखरखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में भंडार गृहों का निर्माण कराना।

श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- सदन का यह मत है कि, *छत्तीसगढ़ राज्य में धान/बीज/खाद के रखरखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में भंडार गृहों का निर्माण कराया जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, भूपेश बघेल, चंदुलाल साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री हेमचंद यादव, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) <u>राजनांदगांव जिले के बोर तालाब रेल्वे स्टेशनों तक को रायपुर रेल्वे संभाग (मंडल) के अंतर्गत बिलासपुर रेल्वे जोन में शामिल किया जाना।</u>

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि *प्रदेश के राजनांदगांव जिले के बोर तालाब रेल्वे स्टेशनों तक को रायपुर रेल्वे संभाग (मंडल) के अंतर्गत बिलासपुर रेल्वे जोन में शामिल किया जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, चंदुलाल साहू, भूपेश बघेल सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प का समर्थन किया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.51 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 जुलाई,2005 (आषाढ़ 27, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2005

(आषाढ़ 27, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 7 से 9 एवं 11 से 14 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) देवलाल दुग्गा, सदस्य ने जिला कांकेर के भानुप्रतापपुर में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3.नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने प्रदेश में बिकने वाली दवाईयों की जांच एवं अस्पतालों की निगरानी की जाने,

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम कोदवा गोड़ान में लो-वोल्टेज की समस्या होने, तथा

(3) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य ने बिल्हा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मोहदी मार्ग की मनियारी नदी पर निर्मित पुल के दोनों ओर डब्ल्यू. बी.एम. सड़क बनाए जाने,:

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

4.नाम निर्देशित समितियों में रिक्त स्थान के लिए नाम-निर्देशन

अध्यक्ष महोदय ने - विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203, 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(1), 234-ग, 234-च(2) एवं 234(1) के साथ सहपठित नियम 180 के उप नियम (1) के तहत विभिन्न समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित सदस्यों को शेष अवधि के लिए उक्त समितियों का सदस्य/सभापति नियुक्त किया :-

1. श्री बद्रीधर दीवान उपाध्यक्ष, विधानसभा	विशेष आमंत्रित सदस्य, कार्यमंत्रणा समिति
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल (विधि मंत्री)	पदेन सदस्य, नियम समिति
3. श्री शिवप्रताप सिंह	सदस्य, याचिका समिति
4. श्रीमती रेणुका सिंह	सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति तथा सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति
5. श्री लच्छुराम कश्यप	सभापति, याचिका समिति, तथा सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति
6. श्री इंदर चोपड़ा	सदस्य, विशेषाधिकार समिति
7. श्री देवजी भाई पटेल	सदस्य, प्रत्यायुक्त विधान समिति
8. श्री भरत साय	सदस्य, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति
9. श्री चन्दुलाल साहू	सदस्य, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

5. याचिका की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

6.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो-स्थानों हेतु निर्वाचन

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :- *सभा के सदस्यगण विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के रिक्त स्थान हेतु वर्ष 2005-2006 की शेष अवधि के लिए अपने में से 2 सदस्य, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति तथा एक -सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग का होगा, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2005 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2005 को अपराह्न 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक -1 में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2005 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान गुरूवार, दिनांक 21 जुलाई, 2005 को प्रात: 11.00 बजे से 4 .00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

7.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005

सुश्री लता उसेंडी, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन, 2005) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन)विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अघनसिंह ठाकुर, भूपेश बघेल, डॉ. सुभाऊ कश्यप, गणेश शंकर बाजपेयी, चन्दुलाल साहू, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 2 के उपखंड (2) में शब्द **प्रादेशिक क्षेत्र** के स्थान पर शब्द **भौगोलिक क्षेत्र** प्रतिस्थापित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड-2 विधेयक का अंग बना।

खंड-1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन)विधेयक, 2005

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खंड-2 में इस प्रकार संशोधन किया जाए :-

खंड 2 के उपखंड (2) में शब्द **प्रादेशिक क्षेत्र** के स्थान पर शब्द **भौगोलिक क्षेत्र** प्रतिस्थापित किया जाय।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड-2 विधेयक का अंग बना।

खंड-1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

8.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में दंतेवाड़ा, चिरमिरी, बिलासपुर के प्रतिनिधि आज विधानसभा की कार्यवाही के अवलोकन हेतु उपस्थित हैं।

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

प्रदेश में हीरा खदानों का दोहन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य द्वारा उठाई गई, पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री देवव्रत सिंह, चन्दुलाल साहू, देवलाल दुग्गा, नोवेल कुमार वर्मा।

डॉ रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(1.31 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

10. नियम 142-क के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अल्पकालीन चर्चा

प्रदेश में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की कार्यशैली और भूमिका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, धर्मजीत सिंह, डॉ. सुभाऊ कश्यप, देवव्रत सिंह, भूपेश बघेल, नंद कुमार पटेल, इंदर चोपड़ा एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज ।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 4.51 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 28, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

○

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2005

(आषाढ़ 28, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 2 से 13 (कुल 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार - भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष (छत्तीसगढ़ शासन) पटल पर रखा।

भाराकां के सदस्यों ने आसंदी से अनुरोध किया कि मार्कफेड द्वारा अनाम कंपनी से क्रय किए गए करोड़ों रूपये के स्तरहीन जैविक खाद का विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जावे।

3. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा उनके द्वारा जैविक खाद के विक्रय संबंधी दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर शासन द्वारा चर्चा न कराये जाने के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

4.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था में नगर निगमों के महापौर एवं सभापति तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को सभा की कार्यवाही से अवगत होने के क्रम में आज कोरिया, धमतरी,

कांकेर, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, जगदलपुर, जशपुर के प्रतिनिधि अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सभा की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किए जाने का उल्लेख किया। सभा ने अनुज्ञा प्रदान की।

(1) कु. रोजलिन बेकमेन, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध न कराये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला बिलासपुर के विकासखंड कोटा, ग्राम मजवानी में क्वाट्र्ज पत्थर खदान की लीज में अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, देवजी भाई पटेल, सदस्य ने भोरमदेव मंदिर में फर्शीकरण कराकर प्राचीन विरासत को क्षति पहुंचाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने रायपुर नगर में उल्टी-दस्त से मौत होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6.नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अचानकमार अभ्यारण्य क्षेत्र में वनोपज तोड़ाई पर प्रतिबंध लगाये जाने,

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के बरमकेला में भंडारित धान का किराया भुगतान संबंधी, तथा

(3) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने मजदूरों को श्रम कानून के तहत सुविधाएं नहीं दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

7.शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मैंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005),

(2) इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005), तथा

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 15 सन् 2005)

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(2) इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक , 2005

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज (भाषण जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवजी भाई पटेल, भूपेश बघेल, विजय अग्रवाल एवं नोवेल कुमार वर्मा।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बने।

खंड-1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

बहिर्गमन

राकांपा के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने विधेयक के प्रावधानों के विरोध में सदन से बहिर्ग मन किया।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(4) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक , 2005

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक , 2005

सुश्री लता उसेंडी, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए:-

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवलाल दुग्गा, नंद कुमार पटेल, इंदर चोपड़ा, भूपेश बघेल, लच्छुराम कश्यप, डॉ. शक्राजीत नायक, श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, कवासी लखमा, श्रीमती र मशीला साहू, कु. रोजलिन बैकमेन एवं नोवेल कुमार वर्मा।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-2 व खंड-6 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 2 के उपखंड (3) व खंड (6) में शब्द **ओझा** *के स्थान पर शब्द* **बैगा** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-2 व खंड -6 विधेयक का अंग बना।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 4 में शब्द **तीन वर्ष** *के स्थान पर शब्द* **छः माह** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-4 विधेयक का अंग बना।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-5 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 5 में शब्द **पांच वर्ष** *के स्थान पर शब्द* **एक वर्ष** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन पर मत लिया गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-5 विधेयक का अंग बना।

खंड 3 व 7 से 16 विधेयक के अंग बने।

खंड-1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

सुश्री लता उसेण्डी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विधेयक के महत्व पर प्रकाश डाला तथा इसे सर्वसम्मति से पारित करने का सदन से आह्वान किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सायं 5.44 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2005

(आषाढ़ 29, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 एवं 13 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.बहिर्गमन

प्रदेश में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की कृषि सहकारी समिति के अलावा अन्य सहकारी स मितियों को धान खरीदी की दी गई अनुमति संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-4 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे सदस्य के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र मांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अ पेक्षानुसार अ धिसूचना -क्र मांक-एफ-10/1/2005/वाक/पांच(1), दिनांक 27 जनवरी, 2005, तथा क्रमांक-एफ-10/8/2005/वाक/ पांच(6), दिनांक 24 मार्च, 2005, पटल पर रखीं।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, सदस्य ने आरीडोंगरी लौह अयस्क खदानों को लीज पर दिए जाने में अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन का पूर्ण उत्तर न आने के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री देवजी भाई पटेल, त्रिलोचन पटेल, संजय ढ़ीढ़ी, सदस्य ने डॉ. भीमराव अंबेडकर हॉस्पीटल, रायपुर में व्याप्त अनियमितता की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यानाकर्षित किया।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी , राज्यमंत्री, लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267(क) के अधीन विषय

(1) डॉ. शक्राजीत नॉयक, सदस्य ने जिला रायगढ़ के सात विकासखंडों में सामुदायिक फलोद्यान योजना के कार्यरत मजदूरों को भुगतान न किए जाने,

(2) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने बस्तर संभाग में वितरण के अभाव मे कालातीत हो रही दवाएं,

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने माण्ड डायवर्सन योजना के मार्ग क्षतिग्रस्त होने,

(4) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने ग्राम मांढ़र की देशी शराब दुकान को अन्यत्र हटाये जाने, तथा

(5) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने खरसिया, सक्ती एवं चांपा क्षेत्र की नहरों का कांक्रीटीकरण किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, प्रगति नगर, मोवा, रायपुर द्वारा धान खरीदी में अनियमितता किए जाने संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने लोरमी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने, तथा

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड छुरिया में विद्युत वितरण केन्द्र की स्थापना करने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री धर्मजीत सिंह,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. शक्राजीत नॉयक, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा सदस्य ने मोवा धान खरीदी प्रकरण की जांच समिति के प्रतिवेदन पर शासन के वक्तव्य की मांग करते हुए भाराकां के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।

व्यवधान होने से 3.07 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 3.17 बजे प्रारंभ हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

भाराकां के सदस्य जांच समिति के प्रतिवेदन पर शासन के वक्तव्य की मांग करते रहे तथा सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

अत्यधिक व्यवधान होने से 3.26 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 3.31 बजे प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

भाराकां के सदस्यों के साथ माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा ने भी माननीय अध्यक्ष से जांच प्रतिवेदन पर चर्चा कराने तथा शासन द्वारा वक्तव्य देने का पुन: अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं होती है और आपने चर्चा मांगी भी नहीं है। जहां तक शासन द्वारा वक्तव्य देने का प्रश्न है तो शासन इसके लिए स्वतंत्र है, शासन को निर्देशित नहीं किया जा सकता।

भाराकां के सदस्य अपनी मांग दोहराते रहे तथा सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

लगातार व्यवधान रहने से 3.53 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 4.14 बजे प्रारंभ हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए :-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नॉयक, लच्छुराम कश्यप, रविन्द्र चौबे, चन्दूलाल साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सत्यनारायण शर्मा,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-8 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 8 में शब्द **राज्य शासन** *के स्थान पर शब्द* **राज्य विधानसभा** *तथा शब्द* **दो या तीन** *के स्थान पर शब्द* **आठ** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया तथा माननीय सदस्य के सुझाव अनुसार 8 के स्थान पर पांच सदस्य करने के संशोधन प्रस्ताव पर सहमति दी।

यथासंशोधित संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड-8 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-9 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 9 में शब्द **कार्यकारिणी समिति** *के स्थान पर शब्द* **कार्य परिषद** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव पर सहमति दी।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड-9 विधेयक का अंग बना।

खंड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम(संशोधन) विधेयक , 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए:-

श्री देवव्रत सिंह,

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, विजय अग्रवाल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-10 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 10 के उपखंड (1) के पद (ix) में शब्द **राज्य शासन** *के स्थान पर शब्द* **राज्य विधानसभा** *तथा शब्द* **दो** *के स्थान पर शब्द* **चार** *प्रतिस्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव पर सहमति दी।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खंड -10 विधेयक का अंग बना।

खंड-2 से 9 तथा 11 व 12 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सायं 5.43 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2005

(आषाढ़ 30, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6, एवं 8 से 12 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित तथा 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, प्रगति नगर, मोवा, रायपुर द्वारा वर्ष 2004-05 में धान खरीदी में अनियमितता किए जाने पर सदन की जांच-समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर शासन शीघ्र यथावश्यक कार्यवाही करेगा ।

2.ध्यानाकर्षण-सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सभा की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने का उल्लेख किया । सभा ने अनुज्ञा प्रदान की ।

(1) श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में आदिवासियों के विकास कार्य हेतु प्राप्त आबंटित राशि के उपयोग में अनियमितता किए जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री छतराम देवांगन, संसदीय सचिव (आदिम जाति कल्याण मंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ. शक्राजीत नॉयक, सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता के डामर का उपयोग किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) डॉ.सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने जिला जगदलपुर के नगरनार क्षेत्र में परिवार के सदस्य को नौकरी न दिए जाने की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने बीजापुर पुलिस जिले में नक्सलियों द्वारा जनजागरण कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वद्धि की घोषणा की ।

ध्यानाकर्षण संख्या -4 पर पर्याप्त अनुपूरक पूछने का अवसर देने के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष ने शून्यकाल की सूचना लेना प्रारंभ किया, किन्तु माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल ध्यानाकर्षण पर अतिरिक्त प्रश्न करने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गए तदुपरांत उनके समर्थन में भाराकां के सदस्य सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, डॉ.शक्राजीत नॉयक, गणेश शंकर बाजपेयी, धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू, रामपुकार सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, मोतीलाल देवांगन, ओंकार शाह, योगेश्वर राज सिंह, चन्द्रभान बारमते, डॉ.शिवकुमार डहरिया, गुलाब सिंह एवं डॉ. चेतन वर्मा गर्भगृह में आकर धरने पर बैठ गये तथा सरकार विरोधी नारे लगाते रहे । गर्भगृह में आये समस्त सदस्य सदन की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हुए।

3.नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि, उन्होंने नियम 267 क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 9 सूचनाएं 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 21.07.2005 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई -

(1) श्री चुरावन मंगेशकर, सदस्य की प्रदेश में स्वर्णा प्रजाति के पतले चावल की कीमत मोटे धान के रूप में दी जाने,

(2) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की जिला जगदलपुर, महारानी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा गंभीर लापरवाहीपूर्वक कार्य किए जाने,

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की पंडरिया एवं लोरमी विकास खंड के अंतर्गत नल-जल योजनाओं के पूर्ण न होने,

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लो-वोल्टेज की स मस्या होने,

(5) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य की भू-स्वामियों के लंबित आवेदनों पर कार्यवाही न किये जाने,

(6) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य की मेडिकल कॉलेज में कॉउंसिलिंग, 2005 व निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस एवं मेनेजमेंट सीटों का निर्धारण,

(7) डॉ.शक्राजीत नॉयक, सदस्य की सरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बरमकेला बालक एवं कन्या हाई स्कूल तथा पुसौर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा का अभाव,

(8) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य की ग्राम पंचायत पुछेली की प्राथमिक शाला में शिक्षकों का अभाव होने, तथा

(9) श्री संजीव शाह, सदस्य की विकास संड मानपुर की हरेली सहेली योजना में अनियमितता की जाने,

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री दयालदास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2005 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रमांक		*सदस्य का नाम*	*समय*
1	(क्रमांक - 16)	श्री देवजी भाई पटेल	1 घंटा
2	(क्रमांक - 11)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
3	(क्रमांक - 15)	डॉ. बालमुकुंद देवांगन	1 घंटा

श्री दयालदास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची में दर्ज उपस्थित 4 सदस्यों की निम्नलिखित याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी :-

(1) श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य की खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने,

(2) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने,

(3) श्री चन्द्रभान बारमते, सदस्य की मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने, तथा

(4) श्री संजीव शाह, सदस्य की चौकी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अंबागढ़ चौकी में पोस्ट मैट्रिकोत्तर कन्या छात्रावास स्वीकृत करने

संबंधी याचिकाएं ।

(1.50 से 3.18 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उत्तेजना के क्षण में गर्भगृह में आए निलंबित सदस्यों को क्षमा कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दें, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की तथा आग्रह किया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

6. निलंबन/बहाली की कार्यवाही

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया के नियम -250 के अंतर्गत - गर्भगृह में आए 16 सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए हैं तथा व्यवस्था दी कि गर्भगृह में आने पर निलंबित होने का नियम भी सभा ने बनाया है। माननीय सदस्यों के आग्रह, शासकीय कार्य और सत्र के अंतिम दिवसों के परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखूंगा कि सदन में अपनी बात रखने के लिए आग्रह करना तो ठीक है, लेकिन यह परंपरा का स्वरूप न ले तथा सदन के आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं संबंधित सदस्यों को सदन में आने की अनुमति देता हूं।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो स्थानों के लिए निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त दो स्थानों के लिए दो उम्मीदवारों के नाम- निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि दो सदस्य ही निर्वाचित किए जाना है अत: मैं, निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2005-2006 की शेष अवधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

1. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह

2. श्रीमती रमशीला साहू

निलंबन उपरांत बहाल हुए सदस्य सदन में आए तथा श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने घटना पर खेद व्यक्त किया एवं माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए घटना की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23(2) तथा 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17 सन 2005) को आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, लच्छुराम कश्यप, डॉ.शक्राजीत नायक, कु. रोजलिन बेकमेन

4.23 बजे (सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवजी भाई पटेल, श्री नोवेल कुमार वर्मा ।

4.51 बजे (अध्यक्ष महोदय(श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 4 के उपखण्ड (2) के पद (ख) में शब्द **विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ** *का लोप किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-4 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-10 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 10 में शब्दावली **तथापि लिखित कारण दर्शाते हुए शासन इसे वित्तीय/भौतिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है** *का लोप किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-10 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-11 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 11 के उपखंड (1) के पद (ख) में शब्द **तीन करोड़ रूपये** *के स्थान पर शब्द* **दो करोड़ रूपये** *स्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-11 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-16 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 16 के उपखंड (1) के परन्तुक का लोप किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-16 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा , सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-17 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 17 के उपखंड (2) के पद (ख) में शब्द **उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन** *के स्थान पर शब्द* **कुलाध्यक्ष** *स्थापित किया जाय* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-17 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा , सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-26 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 26 के उपखंड (1) के परन्तुक का लोप किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-26 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-34 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 34 के उपखंड (2) के पश्चात् निम्नानुसार उपखंड (3) अन्त:स्थापित किया जाय - (3) विनियम राज्य शासन राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् विनिमय प्रभावशील होंगे तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-34 विधेयक का अंग बना।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-36 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 36 के उपखंड (7) के पश्"ात् नया उपखंड (7) (अ) इस प्रकार स्थापित किया जाय -

(7) (अ) (एक) विनियामक आयोग के अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में 2 से अधिक पदावली के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर पद धारण करने से प्रवरित हो जायेगा।

(दो) यदि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अन्यथा किसी ऐसी जांच से जो आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात् किसी समय कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि विनियामक आयोग का अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य ने इस अधिनियम द्वारा या उसके आधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है या कुलाध्यक्ष के निर्देशों के प्रतिकूल कार्य किया है तो कुलाध्यक्ष इस तथ्य को जानते हुए भी की अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य जैसी स्थिति हो पदावधि का अवसान नहीं हुआ है । एक लिखित आदेश द्वारा जिसमें कारणों का विवरण रहेगा । यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से जो उस आदेश की विनिर्दिष्ट की जाये, अपना पद त्याग दे, परन्तु इस प्रकार का कोई आदेश कुलाध्यक्ष द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उन आधारों जिन पर ऐसी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है । विनियामक आयोग के अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य को संसू"ित न कर दी गई हो तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(तीन) यह और भी कि इस उपधारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत आदेश में उल्लेखित दिनांक से विनियामक आयोग का अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य जैसी यथास्थिति हो अपने पद से पदमुक्त माने जा सकेंगे तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-36 विधेयक का अंग बना।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-37 व 38 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 37 के उपखंड (2) एवं खंड 38 के उपखंड (3) में शब्द एवं वाक्य **विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जावेगी** *के बाद शब्द एवं वाक्य तथा* **उसकी प्रति राज्य शासन के माध्यम से विधानसभा के पटल पर भी प्रस्तुत की जावेगी** स्थापित किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने संशोधन से असहमति व्यक्त की ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड-37 व 38 विधेयक का अंग बना।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खंड-42 में इस प्रकार संशोधन किया जाए:-

खंड 42 के उपखंड (2) के पश्चात् निम्नानुसार उपखंड (3) अन्त:स्थापित किया जाय - 42 (3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खंड-42 विधेयक का अंग बना।

खंड - 2,3,5 से 9, 12 से 15, 18 से 25, 27 से 33, 35, 39 से 41, 43, 44 व अनुसूची विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.26 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 31, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2005

(आषाढ़ 31, 1927)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों मे से प्रश्न संख्या 2 से 12 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित तथा 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने सदन को सूचना दी कि पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री तथा सांसद श्री दिलीप सिंह जूदेव अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

3.ध्यानाकर्षण-सूचना

माननीय अध्यक्ष ने विषय की गंभीरता और विषय को ध्यान में रखते हुए 34 ध्यानाकर्षण सूचानाओं को कार्य सूची में सम्मिलित किया तथा नियम को शिथिल कर प्रथम छ: ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सदन में चर्चा कराने तथा उपस्थित सदस्यों की शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाने की प्रक्रिया निर्धारित की। सभा ने अनुज्ञा प्रदान की।

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं उपभोक्ताओं को न मिलने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री महेश बघेल, संसदीय सचिव (कृषि मंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

4.बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भाराकां के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

(2) सुश्री कामदा जोल्हे, सदस्य ने छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रबंधक द्वारा अनियमितता किए जाने की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यानाकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, गणेश शंकर बाजपेयी, धर्मजीत सिंह :- ** ** (अनुपस्थित)

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने चौबे कालोनी, रायपुर स्थित हाऊसिंग सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव (सहकारिता मंत्री से संबद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यानाकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, देवजीभाई पटेल, सदस्य ने बस्तर क्षेत्र के परिवहन संघ के व्यक्तियों द्वारा व्यवसायियों को डराने-धमकाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पद क्र. 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

(7) श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य की जिला कांकेर के कृषकों को बीज एवं खाद न मिलने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य

(8) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, उदय मुदलियार, धर्मजीत सिंह, सदस्य की प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की भर्ती में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(9) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, संजय ढीढी, सदस्य की डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय भवन, रायपुर में आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य.

(10) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की जिला राजनांदगांव में नवा अंजोर योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री भूपेश बघेल, सदस्य की महानदी परियोजना एवं तांदुला जलाशय का पानी कृषकों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति

(12) सर्वश्री संजीव शाह, उदय मुदलियार, सदस्य की जिला राजनांदगांव विकासखंड मोहला अंतर्गत स्वर्ण जंयती रोजगार योजना में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(13) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य की कोरबा में इलाज के अभाव में मौत होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का वक्तव्य.

(14) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य की बस्तर वन मंडल के माचकोट परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(15) सर्वश्री भूपेश बघेल, महेन्द्र कर्मा, सदस्य की पी.एम.टी. प्रवेश नियम के संबंध में जारी अधिसूचना का उल्लंघन किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य.

(16) सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, देवजी पटेल, संजय ढीढी, सदस्य की तेन्दूपत्ता संग्रहण में ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(17) सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, देवजी पटेल, संजय ढीढी, सदस्य की कोसरटेडा बांध निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(18) सर्वश्री भूपेश बघेल, श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की रायपुर वन वृत्त में आरा मशीनों के निरीक्षण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(19) डॉ. चेतन वर्मा, श्री धनेन्द्र साहू, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य की राजधानी के निकट ग्राम तूता में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(20) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य की खरखरा मोंहदीपाट परियोजना का लाभ किसानों को न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(21) डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य की जिला दुर्ग में राइस मिलर द्वारा कनकी युक्त चावल एफ.सी.आई. को दिये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री अमरजीत भगत, सदस्य की जिला अंबिकापुर वाड्रफनगर में राशन दुकानों के खाद्यान्न की हेराफेरी की जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(23) सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल, सदस्य की समर्थन मूल्य में धान खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की नगर पंचायत थानखम्हरिया में व्याप्त अनियमितता संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की जिला राजनांदगांव, जनपद पंचायत छुरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण

विकास मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की जिला रायगढ़, विकासखण्ड खरसिया में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में कूपन भुगतान में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(27) श्री राजकुमार सिंघानिया, सदस्य की प्रदेश में मिट्टी तेल की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

6. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष ने नियम 267 क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 16 सूचनाएं नियम 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 22.07.2005 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की ।

निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री विनोद खांडेकर, सदस्य की हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बिलासपुर में अध्ययनरत अजा/अजजा के छात्रों से ट्यूसनफीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाने,

(2) श्री प्रीतम साहू, सदस्य की धमधा तहसील के कोटवार को सेवा भूमि न मिलना,

(3) श्री रामपुकार सिंह, सदस्य की ग्राम पंचायत छातासराई, जिला जशपुर में शिक्षा गारंटी केन्द्र के शिक्षक द्वारा अवैध कार्य किया जाना,

(4) श्री गुलाब सिंह, सदस्य की विकासखंड खड़गवां जिला कोरिया में मवेशियों की मृत्यु होने,

(5) सुश्री कामदा जोल्हे, सदस्य की कार्यालय प्रमुख, संयुक्त संचालक द्वारा बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती में भ्रष्टाचार किए जाने,

(6) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य की बाल्को विस्तार परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान न किए जाने,

(7) डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य की प्रदेश के अनेक संस्थाओं द्वारा फर्जी मेडिकल प्रशिक्षण कालेज चलाये जाने,

(8) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य की बिल्हा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दो व्यक्तियों की हत्या होने,

(9) श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य की मटियामोती नाला जलाशय के डुबान में आये करबंध का लंबित मुआवजा न दिये जाने,

(10) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की बस्तर जिले के जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग का निर्माण निर्धारित मापदंड के आधार पर न होने,

(11) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य की प्रदेश के अजा/अजजा एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को गणवेश प्रदान न किए जाने,

(12) श्री अमरजीत भगत, सदस्य की महामाया मंदिर, सक्ती तथा शिव मंदिर तुर्री जिला जांजगीर में चढ़ोत्तरी राशि का दुरूपयोग किए जाने,

(13) श्री योगेश्वर राज सिंह, सदस्य की जिला कबीरधाम दैनिक बाजार एवं शहरी आबादी के मध्य शराब दुकान संचालित की जाना,

(14) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य की गुरूर वनांचल जिला दुर्ग में अवैध पत्थर उत्खनन किए जाने,

(15) श्री भूपेश बघेल, सदस्य की ग्राम पंचायत जजगा, जिला सरगुजा में स्वीकृत तालाब को अन्य स्थान पर निर्मित कराये जाने, तथा

(16) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की प्रदेश, मिडिल एवं हाईस्कूल की पाठ्यपुस्तकों के मूल्य में अतिशय वृद्धि होने,

संबंधी सूचना।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री इंदर चोपड़ा, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री लच्छुराम कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन् प्रस्तुत किया।

(3) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का कार्यवाही संबंधी तृतीय प्रतिवेदन

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का कार्यवाही संबंधी तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - आज की कार्यसूची में दर्ज निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी :-

(1) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य की खेरथा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोंहदीपाट में 33/11 के.व्ही. का सब स्टेशन स्वीकृत करने,

(2) श्री दयाल दास बघेल, सदस्य की मारो विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने,

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की खुज्जी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने,

(4) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य की चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने, तथा

(5) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य की गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धमना-बासीन नाले पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण करने,

संबंधी याचिकाएं।

9.अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हेतु सभा के भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271(ख) को शिथिल कर प्रस्तावित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन दिनांक 14 से 18 नवंबर के आयोजन हेतु सभा के भवन के उपयोग की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में समय वृद्धि का प्रस्ताव

(1) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 पर गठित प्रवर समिति

श्री बद्रीधर दीवान, सभापति प्रवर समिति ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 73 के उपनियम (1) के द्वितीय परंतुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उपनियम (1) के परंतुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) विशेषाधिकार समिति

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सभापति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि श्री देवजी पटेल, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रकाशक श्री बलराज अरोरा, संपादक श्री अरिंदम सेनगुप्ता एवं स्थानीय संवाददाता श्री लव कुमार मिश्रा रायपुर के विरूद्ध -

समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक -7 तक की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् विधानसभा नियमावली के नियम -23 के अनुसार बैठक के अंतिम ढाई घंटे में अशासकीय संकल्प लिए जाने की घोषणा की।

(1.37 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड-2 से 28 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12.अशासकीय संकल्प

(1) नर्मदा नदी के जल के वितरण में छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया जाना।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि *नर्मदा नदी के जल के वितरण में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, त्रिलोचन पटेल एवं देवव्रत सिंह, सदस्य ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा शासन द्वारा इस दिशा में की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने संकल्प की वापसी हेतु सहमति व्यक्त की।

सदन द्वारा अनुमति दी गई

संकल्प वापस हुआ।

(2) प्रदेश के विद्यालयों में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- सदन का यह मत है कि *छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के समस्त हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं शासकीय महाविद्यालय में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री चंदुलाल साहू, देवव्रत सिंह एवं इंदर चोपड़ा, सदस्य ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य द्वारा निम्नलिखित पूर्णत: संशोधित संकल्प प्रस्तावित करने की दशा में सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत कराने पर सहमति व्यक्त की।

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि *छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एन.सी.सी. के कैडिटों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की जाए।*

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने यथा संशोधित संकल्प पर सहमति व्यक्त की।

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) प्रदेश में कार्यरत कोयला खनन कंपनियों द्वारा उत्खनित कोयले की रॉयल्टी का निर्धारण मूल्य आधारित किया जाना।

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि:- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि *प्रदेश में कार्यरत कोयला खनन कंपनियों द्वारा उत्खनित कोयले की रॉयल्टी का निर्धारण मूल्य आधारित किया जाए* तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सर्वश्री डॉ हरिदास भारद्वाज, अघनसिंह ठाकुर एवं अमरजीत भगत, सदस्य ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रदेश का राजस्व बढ़ाने की दृष्टि सें निम्नानुसार संशोधन माननीय सदस्य द्वारा स्वीकार किए जाने पर संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत कराने पर सहमति व्यक्त की कि:- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि *प्रदेश में कार्यरत कोयला एवं लोहा खनन कंपनियों द्वारा उत्खनित कोयले की रॉयल्टी का निर्धारण मूल्य आधारित किया जाए।*

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने संशोधित संकल्प पर सहमति व्यक्त की।

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

13.नियम -239 के अंतर्गत सदन को विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैं :-

(1) माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा मान. श्री मेघाराम साहू, तत्कालीन खाद्य मंत्री एवं श्री बी.के.एस.रे तत्कालीन प्रमुख सचिव (खाद्य), छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध सभा की समिति गठित किये जाने के उपरांत प्रशासकीय जांच समिति गठित किए जाने को आधार बनाकर प्रस्तुत सूचना दिनांक 3 मई, 2005,

(2) माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल द्वारा श्रीमती इफ्फत आरा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा, जिला-बिलासपुर के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 20 जून, 2005

(3) माननीय सदस्य श्री देवजी भाई द्वारा लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 15 जुलाई, 2005

(4) माननीय सदस्य श्री देवजी भाई द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी, एकता परिषद के श्री रमेश शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 20 जुलाई, 2005

14. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष का उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधान सभा का यह षष्ठम् सत्र सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2005 को आरंभ हुआ और आज इस सत्र का अंतिम दिवस है। सत्र समापन के अवसर पर मैं पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सत्र के निर्विघ्न संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया।

कुल 12 दिवस का यह सत्र जिसमें कुल 10 बैठकें हुईं। सभा में सम्पादित कार्यों से पृथक इस दृष्टि से उल्लेखनीय रहा कि सदस्यों ने उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद की पूर्ति की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया। श्री बद्रीधर दीवान इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में है, उनकी संसदीय एवं राजनीतिक यात्रा, उनके संसदीय ज्ञान एवं अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हमें इस सत्र में प्राप्त हुआ, यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। मैं इस अवसर पर श्री दीवानजी के यशस्वी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और इस सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ।

इस सत्र में सभा में माननीय सदस्यों के आसन में भी परिवर्तन नजर आया। कुमारी लता उसेण्डी ने राज्य मंत्री के रूप में प्रश्नकाल में महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्नों का सामना किया, वहीं डॉ. त्रिविक्रम भोई, श्री छतराम देवांगन एवं श्री रामसेवक पैकरा भी मंत्रिमण्डल सदस्यों के साथ बैठे नजर आयें, मैं इन चारों माननीय सदस्यों को भी उनके नये दायित्वों हेतु बधाई देता हूँ। सुश्री लता उसेण्डी का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा, जिन्होंने विभाग का काम काज सम्भालने के तुरंत पश्चात् टोनही प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सम्पादित की।

यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि विगत सत्र में प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नीति **"धान खरीदी नीति""** के कार्यान्वयन में रायपुर जिले की एक समिति के संबंध में सदस्यों की माँग, परिस्थितिजन्य परिप्रेक्ष्य में सदन ने इसकी जाँच सभा की समिति से कराने का निर्णय लिया था और समिति से यह भी अपेक्षा की थी कि जाँच समिति का प्रतिवेदन आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पूर्व प्रस्तुत करें। मुझे प्रसन्नता है कि समिति ने अपने संसदीय दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2005 को प्रस्तुत किया। धान खरीदी इस प्रदेश के किसानों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख विषय है और धान खरीदी नीति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली नीति है। मैं समिति के सभापति श्री विजय अग्रवाल एवं सदस्य सर्वश्री उदय मुदलियार तथा विनोद खाण्डेकर को भी बधाई देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप समिति का प्रतिवेदन सभा की अपेक्षानुसार निर्धारित समय पर प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य नवोदित राज्य है, छत्तीसगढ़ की विभिन्न नीतियों का दूसरे राज्यों की समान नीतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से मैंने विभिन्न नीतियों के अध्ययन हेतु अन्य राज्यों में सदस्यों के अध्ययन समूह भेजने का भी निर्णय लिया है। तद्‌नुसार वन नीति के संबंध में माननीय बद्रीधर दीवान के संयोजकत्व में आठ सदस्यों का एक दल असम, अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड प्रदेश के दौरे पर गया था। मेरा यह विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य जितने अधिक अन्य राज्यों में जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव न केवल उनके सदन में सम्पादित कार्यों में अपितु सभा के बाहर भी जब वे एक जनप्रतिनिधि अथवा राजनेता के रूप में कार्यरत होते हैं, दिखाई देगा, जो समग्र रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लाभदायक रहेगा। आगामी माह में कृषि नीति, पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं उद्योग नीति पर भी अध्ययन दल दूसरे प्रदेशों का दौरा करेगा।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत की कार्यवाही जन-सामान्य तक पहुँचे ताकि संसदीय प्रणाली में **"जनप्रतिनिधि संस्थाओं""** के महत्व, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि को वे सूक्ष्मता से समझ सके और उनका विश्वास स्थापित हो। इस उद्देश्य से प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में सम्पादित होने वाले कार्य एवं इसके माध्यम से कार्यपालिका द्वारा जन-कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी तथा संसदीय प्रणाली में विधान सभा की कार्यविधि से अवगत कराने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यथा नगर पालिक निगम के अध्यक्ष एवं सभापति तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को इस सत्र में सभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आमंत्रित किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि 16 जिलों के लगभग 50 प्रतिनिधियों में से 38 प्रतिनिधियों ने सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। आगामी सत्रों में इस प्रक्रिया का और विस्तार किया जाएगा ताकि इस प्रदेश के जन-सामान्य में यह भावना विकसित हो कि विधान सभा उनकी अपनी संस्था है, जिसके माध्यम से जन-सामान्य की आकांक्षाओं एवं ईच्छाओं को मूर्त स्वरूप दिया जाता है। इस विषय पर मेरा समस्त माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे भी अपने सुझाव दें।

इस लघु सत्र में प्रत्येक सदस्य जन-समस्याओं को सभा के समक्ष लाने, अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से सजग रहा और यही कारण है कि इस प्रयास में कि उनके मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले, एकाधिक अवसरों पर उत्तेजना के क्षण भी आयें किन्तु इस 10 दिवसीय बैठक जिसमें सदन में 50 घण्टे से अधिक बैठकर कामकाज को निपटाया, कुछ क्षण उत्तेजना एवं दलीय प्रतिबद्धता से प्रभावित आचरण में निकले और इन्हीं बिरले अवसरों पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों को नजरअंदाज करते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा में स्थापित परम्परा के विपरीत गर्भगृह में भी प्रवेश किया। जहाँ गर्भगृह में प्रवेश के प्रथम अवसर दिनांक 12 जुलाई, 2005 को मैंने माननीय सदस्यों की संसदीय भावना को और उनके व्यवहार को विचार में लेते हुए नजरअंदाज किया, वहीं दिनांक 21 जुलाई, 2005 को प्रतिपक्ष के उपनेता श्री भूपेश बघेल ने स्वयं अपनी भूल को स्वीकार किया। इन दोनों घटनाओं से छत्तीसगढ़ विधान सभा में संसदीय प्रणाली एवं परम्परायें और अधिक पुष्ट हुई है क्योंकि संसदीय प्रणाली में यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि आसंदी के समक्ष ऐसे अवसर उपलब्ध हो, जब पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ही आसंदी का संरक्षण चाहते हो, तब आसंदी का कर्तव्य है कि वह प्रतिपक्ष जो कि अल्पमत में होता है, को संरक्षण दें और दूसरा सभा की गरिमा हमेशा अक्षुण्ण रहे, इस बात की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी सभा के सदस्यों पर ही होती है, जो न केवल सभा के अविभाज्य अंग है, अपितु सभा की गरिमा में किसी प्रकार की ऑच न आये, यह भी सुनिश्चित करते हैं। विपक्ष के उपनेता माननीय श्री भूपेश बघेल द्वारा अपनी भूल को सहृदयता से स्वीकार कर न केवल सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखा है अपितु अपने स्वयं के मान को भी बढ़ाया है। साथ ही मेरा यह विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों में संसदीय प्रणाली एवं परम्पराओं को और अधिक पुष्ट करने की भावनाऐं बहुत गहरी है।

अब मैं आपको वर्तमान विधान सभा सत्र में सम्पादित कार्यों की कुछ सांख्यिकीय जानकारियाँ दे रहा हूँ। इस सत्र की कुल 10 बैठकों में 50 घण्टे से अधिक चर्चा हुई। इस सत्र में 1110 प्रश्न प्राप्त हुए, तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 693 रहीं, जिनमें से 94 प्रश्नों पर सभा में मौखिक प्रश्न पूछे गए और चर्चा हुई। वर्तमान सत्र की उपलब्धि यह भी रही कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम 139 एवं 142 के अंतर्गत हीरा खदान का दोहन न होने तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका विषयों पर सारगर्भित एवं विस्तृत से चर्चा हुई, जिसका लाभ निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिखेगा। वर्तमान सत्र में 19 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 6 अशासकीय संकल्प सदन में चर्चा के लिए रखे गए और 4 संकल्प स्वीकृत हुए । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 200 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से तीन विषयों से संबंधित 64 सूचनाओं को सभा में ग्राह्यता की चर्चा पश्चात् अग्राह्य किया गया। इस सत्र में शून्यकाल की 82 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 50 सूचनाएं सभा में रखी गई।

वर्तमान सत्र में ध्यानाकर्षण की 381 सूचनाएं प्राप्त हुईं। मैंने माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए नियमों को शिथिल करते हुए दो के स्थान पर चार तथा छः सूचनाएं सभा में ली और इस प्रकार 111 सूचनाओं पर चर्चा हुई और 226 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। इस सत्र में 10 शासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, 10 विधेयक सभा में लाये गए और पारित हुए, कुल 42 याचिकायें सभा में प्रस्तुत की गईं। विशेषाधिकार भंग की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई, जो मेरे विचाराधीन हैं। सभा में सम्पादित कार्य स्थगन, ध्यानाकर्षण, प्रश्न, अ शासकीय संकल्प, शून्यकाल की सूचनाएं सभी माध्यमों से माननीय सदस्यों ने समस्त महत्वपूर्ण विषयों को सभा में किसी-न-किसी प्रकार से उठाया और सत्तापक्ष को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। चाहे मामला नक्सलवाद सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था का हो अथवा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया का, हीरे की खदानों के दोहन का हो या औद्योगिक प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति, राज्य में विद्युत आवश्यकता एवं विद्युत की चोरी हो या विद्युत की आपूर्ति हो या विद्युत की दरें, समस्त विषयों पर सभा में विस्तृत, तार्किक तथा सारगर्भित चर्चा हुई।

इस अवसर पर मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा और मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रति वर्ष होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी एवं विधान मण्डलों के सचिवों का सम्मेलन के आयोजन का अवसर छत्तीसगढ़ विधान सभा को प्राप्त हो रहा है। यह सम्मेलन 14 नवम्बर, 2005 से 18 नवम्बर, 2005 तक विधान सभा भवन में होगा। इस हेतु प्रारंभिक तैयारियाँ आरंभ कर दी गई है किन्तु मैं सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में आप सबसे विचार-विमर्श करूँगा। हमें इस सम्मेलन का आयोजन यादगार तरीके से करना है ताकि देश के स मस्त राज्यों से आने वाले हमारे अतिथि पीठासीन अधिकारी और अन्य आमंत्रित छत्तीसगढ़ के संबंध में समस्त जानकारियों से युक्त होकर जाए, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा।

सम्मेलन के आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट में विधान सभा सचिवालय द्वारा वांछित धन राशि का प्रावधान करके इस आयोजन को सफल बनाने का मार्ग सुनिश्चित कर दिया है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सम्मेलन के पूर्व विधान सभा परिसर में निर्माणाधीन आडिटोरियम भवन के संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में यथोचित निर्देश प्रदान करेंगे।

अन्त में मैं सभी सदस्यों के द्वारा मुझे सभा की कार्यवाही के निर्विघ्न रूप से संचालन में जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पत्रकार साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही को संसदीय मापदण्डों के अनुरू प जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके दिन-रात परिश्रम के फलस्वरूप सभा को समस्त वांछित जानकारियाँ और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारियाँ प्राप्त हो सकी। मैं सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न पुलिस बल के सदस्यों के प्रति भी आ भार व्यक्त करता हूँ, जिनकी चाक-चौबंद व्यवस्था से सभा की कार्यवाही निर्विघ्न सम्पन्न हुई।

मैं विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूँ जिनके अथक परिश्रम से यह 10 दिवसीय सत्र सम्पन्न हुआ।

इस सदन की यह परम्परा है कि आगामी सत्र की संभावित तिथियों का निर्धारण एवं सदस्यों को जानकारी सत्र समापन के अवसर पर दी जाती है, तद्नुसार आगामी सत्र दिनांक 15 दिसम्बर से 23 दिसम्बर,2005 के मध्य संभावित है।

औपचारिक रूप से हम सब अब दिसम्बर माह में एकत्र होंगे। आप सभी माननीय सदस्य जनकल्याणकारी एवं जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में लगे रहे, इस हेतु अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री भूपेश बघेल एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी सत्र समापन के अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

14.राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान *जन-गण-मन* संपन्न हुआ।)

सायं 5.44 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.